

प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

“Refresher Course for Police Inspectors”

दिनांक 17-06-2019 से 21-06-2019

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।



राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 17-06-2019 से 21-06-2019 तक “Refresher Course for Police Inspectors” विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक श्री हेमंत प्रियदर्शी, आई.पी.एस. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 25 पुलिस निरीक्षकगण ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:15-10:30 AM तक परिचय और पंजीकरण के पश्चात कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय एवं प्रतिभागियों को दिशा निर्देश दिये गये। श्रीमान निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर द्वारा प्रतिभागियों से चर्चा की एवं आईस ब्रेकिंग की गई। प्रथम सत्र में श्री के. सी. जाट, डीआईजी, आरपीए ने रिपोर्ट लेखन, संचार कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण और टीम बिल्डिंग, पावरपॉइंट प्रस्तुति एवं तनाव प्रबंधन पर विस्तृत रूप से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्रीमती सुमन राव एपीपी, आरपीए ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018, एससी/एसटी अधिनियम में संशोधन पर विस्तृत रूप से चर्चा की एवं तृतीय सत्र में श्री सुरेश कुमार उप अधीक्षक पुलिस, आरपीए ने पंप एक्शन गन, चिली पाउडर का उपयोग, कानून और व्यवस्था की स्थितियों में हेलमेट कैमरा के उपयोग के संबंध में विस्तृत रूप से बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्रीमती सुमन राव एपीपी आरपीए, ने घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पर चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 का अनिवार्य प्रावधानों की जांच के बारे में विस्तृत रूप से बताया। अन्तिम सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने SAECK KIT का घटक और उपयोग के संबंध में विस्तृत रूप से बताया। अन्त में कानून फिल्म दिखाई गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में श्रीमती रानु शर्मा, अति० पुलिस अधीक्षक, कम्यूनिटी पुलिसिंग सामुदायिक पुलिसिंग छात्र पुलिस कैडेट परियोजना एवं पुलिस मित्र पर व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री अमर सिंह एडवोकेट, जयपुर ने अदालत में साक्ष्य देने की कला पर व्याख्यान दिया। अन्तिम सत्र में श्री डॉ. राजेश चौधरी सहायक निदेशक डी.एन.ए. डिवीजन एफएसएल, राजस्थान, जयपुर ने अनुसंधान में डीएनए की भूमिका और प्रादशों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अग्रेषित करने के संबंध में बरती जाने वाली पूर्वाधानियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। सत्र के अन्त में एक रूका हुआ फैसला फिल्म दिखाई गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ दिन की शुरुआत में निदेशक महोदय ने कोर्स के संबंध में फीड बैक लिया एवं सुप्रीम कोर्ट के 02 महत्वपूर्ण निर्णयों पर प्रतिभागियों से विचार विमर्श किया। प्रथम सत्र में प्रो. रमेश के. अरोड़ा अध्यक्ष, प्रबंधन विकास अकादमी, जयपुर ने प्रशंसा की कला और आलोचना की विधि एवं व्यवहार के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री गजेन्द्र शर्मा, उप निरीक्षक पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य, फाइलें, हैश वैल्यू, पहला उत्तरदाता, आईपी एड्रेस पता करना, प्रयोगिक ईमेल विश्लेषण, एफबी पर रोक, सेवा प्रदाताओं को मंजूरी, आदि के बारे में साइबर लैब में कालांश लिया जाकर इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया एवं प्रायोगिक रूप से कार्य करवाया गया। अन्तिम सत्र में श्री मनीष माथुर, सब इंस्पेक्टर, एससीआरबी, राजस्थान जयपुर ने सबूत संग्रह में सीसीटीएनएस, आईसीजेएस के उपयोग के बारे में बताया। सीसीटीएनएस पर एससीआरबी द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्य शाला में आईसीजेएस, एनडीएसओ विषय पर व्याख्यान में प्रतिभागियों को सम्मिलित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के पांचवे और अन्तिम दिवस के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर. एस. बत्रा, आरएएस (सेवानिवृत्त) ने भूमि और राजस्व विवादों से संबंधित अपराधों के अन्वेषण पर अपना व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 21-06-2019 को कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 04 में आयोजित किया गया। श्रीमती सुमन चौधरी अति० पुलिस अधीक्षक (कोर्स निदेशक) द्वारा पावर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से कोर्स रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा प्रतिभागियों द्वारा प्रजेन्टेशन दिया गया। श्री एन आर के रेडी महानिदेशक पुलिस (जेल), राजस्थान जयपुर के उद्बोधन के पश्चात् प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। सहायक कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा।

भवदीय,

(सुमन चौधरी)
अति.पुलिस अधीक्षक
कोर्स डायरेक्टर
आर.पी.ए., जयपुर